भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 512

(जिसका उत्तर मंगलवार, 01 मार्च, 2016 को दिया जाना है)

कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी नीति

512. डा. संजय सिंह :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अंतर्गत कौन-कौन सी गतिविधियां शामिल हैं;

(ख) क्या कंपनियों को जहां पर वे स्थापित हैं, उसी क्षेत्र में कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत कार्य किए जाने का कोई प्रावधान किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थानीय स्तर पर जनहित के कार्यों के चयन के लिए क्या मापदंड अपनाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या जनहित के कार्यों के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि के सुझाव को वरीयता न दी जाए?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में उन कार्यकलापों की सूची है जो कंपनियों द्वारा उनकी कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीतियों के अंतर्गत चलाए जा सकते हैं। अनुसूची-VII की एक प्रति अनुलग्नक पर है।

(ख): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के प्रथम परंतुक में कहा गया है "कंपनी अपने आस-पास के ऐसे स्थानीय क्षेत्र और क्षेत्रों को, जहां वह क्रियाशील है, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों के लिए चिन्हित रकम को खर्च करने में अधिमान देगी"।

(ग) और (घ): कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत चलाए जाने वाले कार्यक्रमों/परियोजनाओं/कार्यकलापों और अपनाए जाने वाले मानकों का चयन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(3) और (4) के अनुसार कंपनी की सीएसआर समिति और बोर्ड का विवेकाधिकार होगा।

*****

अनुलग्नक

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 512 के उत्तर का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में शामिल क्रियाकलाप

किसी कंपनी द्वारा सीएसआर के अंतर्गत चलाए जाने वाले कार्यकलाप अधिनियम की अनुसूची-VII में दिए गए हैं, जैसा कि दिनांक 27 फरवरी, 2014 की अधिसूचना में दिया गया है और अनुसूची-VII में निम्नलिखित मद सूचीबद्ध हैं:

(i) भूख, निर्धनता और कुपोषण का उन्मूलन; निवारक स्वास्थ्य देखरेख सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए गठित स्वच्छ भारत कोष में अंशदान सहित स्वच्छता और सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना;

(ii) शिक्षा जिसमें विशेष शिक्षा और विशेषत: बालकों, स्त्रियों, वयोवृद्धों अन्यथा समर्थ व्यक्तियों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने संबंधी नियोजन और जीविका की बढ़ोत्तरी संबंधी परियोजनाओं का संवर्धन;

(iii) लैंगिक समता, स्त्री सशक्तिकरण का संवर्धन, स्त्रियों और अनाथों के लिए आवास और छात्रावासों का निर्माण, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों, दैनिक देखरेख केन्द्रों का निर्माण और ऐसी अन्य सुविधाएं तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानता में कमी लाने के लिए उपाय करना;

(iv) पर्यावरणीय सुस्थायित्व, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति जीव-जंतु का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना तथा मृदा, वायु और जल की गुणवत्ता बनाए रखना जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा गंगा नदी के पुनरूद्धार के लिए गठित स्वच्छ गंगाकोष में अंशदान करना शामिल है;

(v) राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण, जिसमें भवनों और ऐतिहासिक महत्ता के स्थल और कलाकृतियां भी सम्मिलित हैं, सार्वजिनक पुस्तकालयों का गठन करना, पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्पों का संवर्धन और विकास;

(vi) सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाएं और उनके आश्रितों के फायदे के लिए उपाय करना;

(vii) ग्रामीण खेलकूद, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलकूद, पैरालंपिक खेलकूद और ओलंपिक खेलकूदों को वढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देना;

(viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, अल्पसंख्यकों, स्त्रियों के सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत के लिए और कल्याण के लिए गठित की गई किसी अन्य निधि में अंशदान करना;

(ix) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों में उपलब्ध प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटरों के लिए अंशदान या निधियां प्रदान करना;

(x) ग्रामीण विकास की परियोजनाएं।

*****